दिनांक 27.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 30/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सरवर 2–रफी अहमद 3–नूर आलम को आजीवन कारावास व 40–40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना बरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–महबूब अली 2–आजाद अली 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीतू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना मण्डुवाडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना मण्डुवाडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवि को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रईश आलम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील उर्फ बन्टी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद हरदोई/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त काशी उर्फ फुनकु को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद महराजगंज/थाना बृजमनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना बृजमनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354 भादवि, 10 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को 05 वर्ष के कारावास व 09 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद अलीगढ़/थाना दादों</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 27.09.2023 को थाना दादों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगला रम से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मा0 न्यायालय से गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था, गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादों पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजेन्द्र निवासी नगला संतोषी थाना दादों जनपद अलीगढ़।

जनपद खीरी/थाना खीरी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 60 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन**
- **लूट के रूपयो से खरीदी गई मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26/27.09.2023 की रात्रि थाना खीरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रमही पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–अंशु घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–फिरोज 3–अशफाक 4–अयान 5–मुकेश सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 60 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, लूट के रूपयो से खरीदी गई मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.08.2023 को थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंशु निवासी चौफेरी थाना शारदानगर जनपद खीरी।

2–फिरोज निवासी गंडूरी थाना पढुवा जनपद खीरी।

3–अशफाक निवासी बालूडिहा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

4–अयान निवासी महाराजनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

5–मुकेश निवासी झण्डी थाना व जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट के 60 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

4–लूट के रूपयो से खरीदी गई मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल।

जनपद मुरादाबाद/थाना भोजपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 75 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2023 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1–नदीम 2–नाजिम 3–मौ0 नबी 4–राजा बाबू 5–हनीफ 6–उस्मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 75 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.09.2023 को थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त नदीम, नाजिम, मौ0 नबी के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम निवासी ग्राम धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

2–नाजिम निवासी धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

3–मौ0 नबी निवासी बसावनपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

4–राजा बाबू निवासी धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

5–हनीफ निवासी धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

6–उस्मान निवासी मोहल्ला घास मंडी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 75 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना मटौन्ध

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की लगभग 01 लाख 70 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **7050/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.09.2023 को थाना मटौन्ध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे अन्डर ब्रिज के पास ग्राम जखैरा से 02 अभियुक्तों 1–हबीब उर्फ बच्चा 2–समीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 01 लाख 70 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण, 7050/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मटौन्ध क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मटौन्ध पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हबीब उर्फ बच्चा निवासी कीरतपुरवा थाना सरवई जनपद छतरपुर, म0प्र0।

2–समीम निवासी मोहल्ला शंकरपुरवा थाना कबरई जनपद महोबा।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 01 लाख 70 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–7050/–रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण**
- **6900/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26/27.09.2023 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हजरतपुर बम्बे की पुलिया के पास से 03

अभियुक्तों 1–राजीव 2–शिवम 3–राकेश उर्फ राजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण, 6900/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राजीव के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त शिवम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त राकेश के विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजीव निवासी मोहल्ला झारखण्डी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–शिवम निवासी मोहल्ला शेखसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर, हालपता–गंगानगर कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–राकेश निवासी मोहल्ला शेखसराय अड्डा चौराहा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण।

2–6900/–रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना सिद्धार्थनगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 टावर की बैट्री**
- **चोरी के माल बिक्री के 44 हजार रूपये नगद**
- **01 पिकप वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2023 को थाना सिद्धार्थनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौरीकुइया तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–रवि कुमार 2–संदीप 3–सूरज 4–शिवरतन 5–अंकुश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 टावर की बैट्री, चोरी के माल बिक्री के 44 हजार रूपये नगद, 01 पिकप वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सिद्धार्थनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि कुमार निवासी रानोपाली थाना व जनपद अयोध्या।

2–संदीप निवासी सिजिया थाना तरवगंज जनपद गोण्डा।

3–सूरज निवासी ठकुराइन खेड़ा थाना बछरावा जनपद रायबरेली।

4–शिवरतन निवासी ढेवरीरानी जोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

5–अंकुश कुमार निवासी कुवहरा थाना नगराम लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के 10 टावर की बैट्री।

2–चोरी के माल बिक्री के 44 हजार रूपये नगद।

3–01 पिकप वाहन, 01 मोटर साइकिल।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.09.2023 को थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बीबीपुर नहर के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर

जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वलीउल्लाह उर्फ अजमेरी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बसखारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वलीउल्लाह उर्फ अजमेरी निवासी निषाद नगर किछौछा थाना बसखरी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना ज्ञानपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन, 01 फर्जी डीएल**
- **120 मधुमक्खी पालन के खाली डिब्बे**
- **01 डीसीएम वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2023 को थाना ज्ञानपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंहपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन, 01 फर्जी डीएल, 120 मधुमक्खी पालन के खाली डिब्बे, 01 डीसीएम वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुखदेव निवासी ग्राम चूड़चक थाना कलेरकला जनपद गुरूदासपुर पंजाब।

बरामदगी

1–410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 मोबाइल फोन, 01 फर्जी डीएल।

3–120 मधुमक्खी पालन के खाली डिब्बे।

4–01 डीसीएम वाहन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

————